

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. नाम का संशोधन।
3. वृहत् नाम का संशोधन।
4. धारा 1 का संशोधन।
5. धारा 2 का संशोधन।
6. धारा 3 का संशोधन।
7. धारा 14 का संशोधन।
8. धारा 60 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान संक्षिप्त नाम। विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

5 2. हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 नाम का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के नाम में संशोधन। "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

10 3. मूल अधिनियम के वृहत् नाम में, "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान वृहत् नाम का विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, संशोधन। हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

15 4. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "हिमाचल प्रदेश धारा 1 का स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" शब्दों के स्थान पर "अटल आयुर्विज्ञान और संशोधन। अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (भ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा 2 का रखा जाएगा, अर्थात् :— संशोधन।

"(भ) "विश्वविद्यालय" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;"।

धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) “ अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश” के नाम से हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकारिता रखने वाला एक विश्वविद्यालय होगा।”।

5

धारा 14 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (4) में “पैंसठ वर्ष” शब्दों के स्थान पर “सत्तर वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 60 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 60 के खण्ड (ख) में “हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय” शब्दों के स्थान पर “अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश” शब्द और चिह्न रखे जाएंगे।

10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राज्य सरकार ने अब विनिश्चय किया है कि विश्वविद्यालय का नाम "अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश" के रूप में परिवर्तित किया जाए। इसलिए अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादानुसार, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सरकार के परामर्श पर वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् नहीं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कांगड़ा स्थित टांडा में संकाय-सदस्यों की बाबत सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है और चम्बा, नाहन, हमीरपुर और नेरचौक में नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के आशय से इन आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई है तथा इन महाविद्यालयों में पुनर्नियुक्ति 70 वर्ष तक अनुज्ञात है। विद्यमान उपबंध के दृष्टिगत, कुलपति के रूप में ऐसे संकाय-सदस्य की नियुक्ति हो सकती है, जो राज्य में कार्यरत अधिकतर संकाय-सदस्यों से कनिष्ठ हैं। इस प्रकार कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए विचार-क्षेत्र को विस्तारित करने हेतु ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि करना समीचीन हो गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विपिन सिंह परमार)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :

तारीख :

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

(विपिन सिंह परमार)
प्रभारी मंत्री।

(यशवंत सिंह चोगल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख :

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) के उपबंधों के उद्धरण

नाम :

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017

वृहत् नाम :

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहबद्धता और अध्यापन तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान पद्धति और भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति में उचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करने और उसका निगमन करने के लिए विधेयक।

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) से (ब) XXX XXX XXX

(भ) "विश्वविद्यालय" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(म) से (यक) XXX XXX XXX

3. विश्वविद्यालय की स्थापना.—(1) "हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय" के नाम से हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकारिता रखने वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से बाद लाएगा और उस पर बाद लाया जा सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, नेरचौक, मण्डी या ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

14. कुलपति.—(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक और निवासी अधिकारी होगा।

(2) कुलपति को सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) कुलपति, अधिमानतः स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सेवारत या सेवानिवृत्त प्रख्यात वृत्तिकों में से नियुक्त किया जाएगा।

(4) कुलपति, कुलाधिपति के प्रसादानुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और सरकार के परामर्श पर वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् नहीं।

(5) कुलाधिपति, कुलपति के पारिश्रमिक की रकम और सेवा की अन्य शर्तें अवधारित करेगा और ऐसे निबन्धन और शर्तें उसकी पदावधि के दौरान उसके अहित में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

(6) जब कुलपति के कार्यालय में छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारण से कोई अस्थायी रिक्ति होती है तो कुलाधिपति, प्रबन्ध बोर्ड के परामर्श से, कुलपति के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा प्रबन्ध करेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु कुलाधिपति द्वारा ऐसे प्रबन्ध किए जाने तक, कुलपति प्रबन्ध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से किसी एक व्यक्ति को एक मास से अनधिक अवधि के लिए या जब तक कि कुलाधिपति द्वारा प्रबन्ध न कर दिया जाए, जो भी पूर्वतर हो, कुलपति के वर्तमान कर्तव्यों का प्रभारी पदाभिहित कर सकेगा।

60. कतिपय परीक्षाओं के विषय में व्यावृत्तियां.—(1) इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व सम्बन्धित अधिनियम, जिसके अधीन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, के अन्तर्गत प्रवृत्त विनियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान की उपाधि के लिए अध्ययनरत था, तब तक, जब तक कि ऐसी परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित न करवा दी गई हों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पा सकेगा और उसे उक्त विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान की उपाधि, जिसमें ऐसी परीक्षा के परिणामतः वह अर्हित हुआ है, प्रदत्त की जा सकेगी।

(ख) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यदि कोई परीक्षा आयोजित की है जिसका परिणाम प्रकाशित किया जा चुका है किन्तु उससे सम्बन्धित उपाधियां प्रदत्त या जारी नहीं की गई हैं अथवा ऐसी किसी परीक्षा का परिणाम उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है तो ऐसी परीक्षा हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 5 OF 2019

**THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2019**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
(AMENDMENT) BILL, 2019**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of title.
3. Amendment of long title.
4. Amendment of section 1.
5. Amendment of section 2.
6. Amendment of section 3.
7. Amendment of section 14.
8. Amendment of section 60.

**THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2019**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017 (Act No. 11 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh University of Health Sciences (Amendment) Act, 2019. Short title.

5 2. In the title of the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017 (hereinafter referred to as the “principal Act”) for the words “HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES”, the words and sign “ATAL MEDICAL AND RESEARCH UNIVERSITY, HIMACHAL PRADESH” shall be substituted. Amendment of title.

10 3. In the long title of the principal Act for the words “Himachal Pradesh University of Health Sciences”, the words and sign “Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh” shall be substituted. Amendment of long title.

15 4. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “Himachal Pradesh University of Health Sciences”, the words and sign “Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh” shall be substituted. Amendment of section 1.

 5. In section 2 of the principal Act, for clause (x), the following shall be substituted, namely :— Amendment of section 2.

20 “(x) “University” means the Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh established under section 3 of this Act;”.

Amendment of section 3.

6. In section 3 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

“(1) There shall be a University by the name “The Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh” having jurisdiction within the State of Himachal Pradesh.”

5

Amendment of section 14.

7. In section 14 of the principal Act, in sub-section (4), for the words and sign “sixty-five years”, the words “seventy years” shall be substituted.

Amendment of section 60.

8. In section 60 of the principal Act, in clause (b), for the words “Himachal Pradesh University of Health Sciences”, the words and sign “Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh” shall be substituted.

10

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017 (Act No. 11 of 2017) was enacted to establish an University with the name "The Himachal Pradesh University of Health Sciences". The State Government has now decided that the name of the University may be changed as "The Atal Medical and Research University, Himachal Pradesh". Therefore, amendments are required to be carried out in some sections of the Act.

Further, as per the provisions of the Act *ibid.* the Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years at the pleasure of the Chancellor and shall be eligible for re-appointment on the advice of the Government, but not beyond the age of sixty-five years. The retirement age in respect of faculty members at IGMC, Shimla and Dr. RPGMC Kangra at Tanda is 62 years and in order to run the new medical colleges at Chamba, Nahan, Hamirpur and Ner Chowk smoothly, the retirement age in these medical colleges has been enhanced upto 65 years and re-employment is allowed upto 70 years in these colleges. The existing provision may lead to appointment of faculty member as Vice-Chancellor who is junior to most of the faculty members working in the State. Thus, it has become expedient to increase the upper age limit for appointment as Vice-Chancellor to expand the zone of consideration. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(VIPIN SINGH PARMAR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2019.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

**THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
(AMENDMENT) BILL, 2019**

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017 (Act No. 11 of 2017).

(VIPIN SINGH PARMAR)

Minister-in-Charge.

(YASHWANT SINGH CHOGAL)

Principal Secretary (Law).

SHIMLA:

The....., 2019.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ACT, 2017 (ACT NO. 11 OF 2017) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Title:

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES ACT, 2017.

Long Title:

AN

ACT

to establish and incorporate a University in the State of Himachal Pradesh to be known as "the Himachal Pradesh University of Health Sciences" for the purpose of affiliating and teaching and ensuring proper and systematic instructions, training and research in the Modern System of Medicine and the Indian System of Medicine.

Sections :

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh University of Health Sciences Act, 2017.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires.—

(a) to (w) xxx xxx xxx

(x) "University" means the Himachal Pradesh University of Health Sciences established under section 3 of this Act;

(y) to (za) xxx xxx xxx

3. Establishment of the University.—(1) There shall be established a University by the name "The Himachal Pradesh University of Health Sciences" having jurisdiction within the State of Himachal Pradesh.

(2) The University shall be a body corporate and shall have perpetual succession and a common seal and shall have power to acquire, hold and dispose of property both the movable and immovable and shall sue and be sued by the said name.

(3) The headquarter of the University shall be at Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Mandi at Ner Chowk or at such place, as may be notified by the Government.

14. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time and resident officer of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor on the advice of the Government.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed preferably from amongst the serving or retired eminent professionals from the field of health sciences education.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years at the pleasure of the Chancellor and shall be eligible for re-appointment on the advice of the Government, but not beyond the age of sixty-five years.

(5) The Chancellor shall determine the amount of remuneration and other conditions of service of the Vice-Chancellor and such terms and conditions shall not be altered to his disadvantages during his term of office.

(6) When any temporary vacancy occurs in the office of the Vice-Chancellor by reason of leave, illness or other causes, the Chancellor, on the advice of the Board of Management, shall make such arrangement for carrying out the duties of the Vice-Chancellor, as he may deem fit :

Provided that pending the making of such arrangement by the Chancellor , the Vice-Chancellor with the prior approval of the Board of Management may designate one person from amongst the Deans of the University to be the In-charge of current duties of the Vice-Chancellor for a period not exceeding one month or till arrangements are made by the Chancellor, whichever is earlier.

60. Saving as to certain examinations.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Statutes or the ordinances :—

- (a) any student, who, immediately prior to the commencement of this Act, was studying for degree in health sciences of the Himachal Pradesh University in accordance with the regulations in force under the respective Act under which the Himachal Pradesh

University was established, may until such examinations are provided by the University be admitted to the examination of the Himachal Pradesh University and be conferred the degree in Health Sciences of the said university, for which he qualified on the result of such examination.

- (b) If the Himachal Pradesh University has held any examination the result of which have been published but the degrees relating thereto have not been conferred or issued or the result of any such examination has not been published by the said university, then such examination shall be deemed to have been held by the Himachal Pradesh University of Health Sciences.